

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीर न क्रमांक
“छत्तीसगढ़/वुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी 2016 — माघ 8, शक 1937

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एक 4-47/सात-1/2015. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 51 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, भूमि अर्जन, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटान कराने के प्रयोजन के लिये, राज्य स्तरीय “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण” की स्थापना करती है.

No. F 4-47/Seven-1/2015. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 51 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, establishes State level “the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority” for the purpose of providing speedy disposal of disputes relating to land acquisition, compensation, rehabilitation and resettlement.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहलानी, संयुक्त सचिव.